पर्यटन मंत्रालय

नई दिल्ली, 23 फ़रवरी, 2023

सा.का.नि. 24.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और पर्यटन मंत्रालय और नागर विमानन (पर्यटन विभाग) भारत सरकार के पर्यटक कार्यालय (समूह 'IV' पद) भर्ती नियम, 1973 तथा पर्यटन मंत्रालय बहुकार्य कर्मचारी वृन्द समूह 'ग' पद भर्ती नियम 2012 को उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, पर्यटन मंत्रालय के भारत पर्यटन कार्यालय तथा मुख्यालय में बहु-कार्य कर्मचारीवृन्द के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात: -

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यटन मंत्रालय मुख्यालय और भारत पर्यटन कार्यालय बहु-कार्य कर्मचारीवृन्द (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2023 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और वेतनमान में ग्रेड वेतन.**—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण, वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.**—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति ।

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है. या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति के अन्य पक्षकार को लागू स्वीकार्य विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात ऐसो आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में लेवल
(1)	(2)	(3)	(4)
बहु-कार्य कर्मचारी – वृन्द	71*(2023) (मुख्यालय स्थापना में 27 पद और भारत पर्यटन कार्यालयों में 44 पद) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग' (अराजपत्रित, अनतु – सचिवीय)	स्तर – 1 रू. (18,000 – 56,900)

चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।
(5)	(6)	(7)	(8)
लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष के बीच। **टिप्पणी :** आयु सीमा के निर्धारण हेतु निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाएगी।	किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक या समतुल्य उत्तीर्ण।	लागू नहीं होता

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्त या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेनल किया जाएगा।
(9)	(10)	(11)
दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होगा

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचनाः	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
पर्यटन मंत्रालय के मुख्यालय स्थापना में समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) में सम्मिलित है : अवर सचिव (प्रशासन-I) पर्यटन मंत्रालय - **अध्यक्ष;**	लागू नहीं होता

सहायक निदेशक (प्रशासन-I) पर्यटन मंत्रालय - **सदस्य;** केंद्रीय सरकार के किसी अन्य मंत्रालय या विभाग से कोई समूह 'ख' राजपत्रित अधिकारी - **सदस्य** **भारत पर्यटन कार्यालयों में समूह ग विभागीय पुष्टि समिति** (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) में सम्मिलित है; क्षेत्रीय निदेशक (पर्यटन) - **अध्यक्ष** सहायक निदेशक (प्रशासन) भारत पर्यटन कार्यालय - **सदस्य** केंद्रीय सरकार के किसी अन्य मंत्रालय या विभाग से कोई समूह 'ख' राजपत्रित अधिकारी - **सदस्य**	

[फा. सं. ए-12018/2/2022-प्रशासन-I]

राजेश कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF TOURISM

New Delhi, the 23rd February, 2023

G.S.R. 24.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in suppression of the Ministry of Tourism and Civil Aviation (Department of Tourism) Tourist Offices of Government of India, (Class IV Posts) Recruitment Rules, 1973 and the Ministry of Tourism, Multi-Tasking Staff, Group 'C' Post Recruitment Rules, 2012, except as respects things done or omitted to be done before such suppression , the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Multi-Tasking-Staff in the Headquarters and in India Tourism Offices of the Ministry of Tourism, namely: -

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Tourism Headquarters and India Tourism Offices, Multi-Tasking-Staff (Group 'C' post) Recruitment Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification, and level in pay matrix.**—The number of posts, its classification, and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rule.

3.**Method of recruitment, age-limit, qualification, etc. .**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.**—No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt such person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Governmental is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect of any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Level in pay matrix
(1)	(2)	(3)	(4)
Multi-tasking Staff.	*71 (2022) [27 posts In the Head Quarters Establishment and 44 posts in the India Tourism Offices] *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group 'C' (Non-Gazetted Non-Ministerial).	Level-1, Rs. (18000-56900)

Whether Selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.
(5)	(6)	(7)	(8)
Not applicable.	Between 18 and 25 years of age. Note: Crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.	Matriculation or equivalent pass from a recognised Board.	Not applicable.

Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.
(9)	(10)	(11)
Two years.	By direct recruitment.	Not applicable.

If Departmental promotion committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group 'C' Departmental Confirmation Committee in Headquarter establishment of Ministry of Tourism (for considering confirmation) consisting of: - 1. Under Secretary (Administration-I), Ministry of Tourism - Chairman; 2. Assistant Director (Administration-I), Ministry of Tourism - Member; 3. Group 'B' Gazetted officer from any other Ministry or	Not applicable.

Department of the Central Government - Member. Group 'C' Departmental Confirmation Committee in India Tourism Offices (for considering confirmation) consisting of: - 1.Regional Director (Tourism)- Chairman; 2. Assistant Director (Administration), India Tourism Office - Member; 3 Group 'B' Gazetted officer from any other Department/office of the Central Government - Member.	

[F. No. A-12018/2/2022.Admn.I]

RAJESH KUMAR, Under Secy.

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय

(पूर्वोत्तर परिषद सचिवालय, शिलांग)

नई दिल्ली, 23 फ़रवरी, 2023

सा.का.नि. 25.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और पूर्वोत्तर परिषद सचिवालय, शिलांग, समूह 'क' पद भर्ती नियम, 2005 को, जहां तक उनका संबंध सलाहकार (सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और जल प्रबंधन), पूर्वोत्तर परिषद सचिवालय, शिलांग के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के तहत पूर्वोत्तर परिषद सचिवालय, शिलांग में उप सलाहकार (सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और जल प्रबंधन) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पूर्वोत्तर परिषद सचिवालय, शिलांग, उप सलाहकार (सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और जल प्रबंधन), समूह 'क' पद भर्ती नियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर : उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि : उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता : वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।